F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 865 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 865

विषय/ Sub: वर्टिकल गायरो, पार्ट सं.: 253000000
Vertical Gyro, Part No.:253000000

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड़, एएसईआरडीसी, लखनऊ – 226 016** द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा **मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड**, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ-226 016 द्वारा उत्पादित **"वर्टिकल गायरो"**, पार्ट सं.: 253000000 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-865, दिनांक 19 नवम्बर 1999 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 865 जारी किया गया था। तदुपरांत यह संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-865/3आर, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक था।

*This is to state that the **"Vertical Gyro"** bearing the Part No.: 253000000, designed & developed by **M/s Hindustan Aeronautics Limited,** ASERDC, Lucknow – 226 016 and manufactured by **M/s Hindustan Aeronautics Limited,** Accessories Division, Lucknow–226 016, was issued with Type Approval No.: 865 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-865, dated:19th November 1999. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-865/3R, dated: 16th May 2013 with its validity up to 30th June 2018.*

2. आर सी एम ए (लखनऊ) की सिफारिश के अनुसार संदर्भ सं. आर सी एम ए(एलकेओ)/341/3/टेक/4, दिनांक 22 नवम्बर 2018 द्वारा, उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 865 के परिशिष्ट 'ए' (पृष्ठ सं. 2 के 1) में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा। तालिका 1 की अंतिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित जोड़िए (अस्थायी मंजूरी संख्या के बाद):

Based on the request from RCMA (Lko) vide letter Ref. No. RCMA(Lko)/341/3/Tech/4, Dated 22nd November 2018, the following amendment is effected in the Appendix 'A' (Page 1 of 2) of the subject Type Approval No.: 865. Add the following, after last row of Table 1 (after Provisional Clearance No.):

Approved Component Build Standard(ACBS) No.:	***253000000-264, Issue – 2F, dated: 23rd July 2016***

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 जनवरी 2019** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **31 दिसम्बर 2023** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (03) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए(लखनऊ),** डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f **01st January 2019** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **31st December 2023** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Lucknow)**, DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Lucknow – 226 016, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-865, दिनांक 19 नवम्बर 1999 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के **अनुच्छेद पांच (05)** में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-865, dated: 19th November 1999 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक) बेंगलूरु– 560 037, की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकताहै।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**,Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदनप्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-865/4R
दिनांक /Date : 02 January 2019
फैक्ससं./Fax No: 080 – 25230856

पी जयपाल / P.JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)